<u>कार्यालय कलेक्टर,(सामाजिक न्याय एव दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला भिण्ड म0प्र0</u>

क्रमांक / जि0दि0पु0कें / 2024 / 755 भिण्ड दिनांक 22 /11 / 2024

संक्षिप्त विज्ञाप्ति

जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र भिण्ड के लिये कुल 11 पदों पर एक वर्ष की संविदा पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने के इच्छुक पात्र आवेदको से आवेदन पत्र आमांत्रित किये जाता है।

पदनाम, संख्या, न्यूनतम योग्यता आदि सम्बन्धी जानकारी जिले की बेबसाइड **www.bhind.nic,in** पर अथवा कार्यालय से प्राप्त कर सकते है, आवेदन सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भिण्ड मे सील बंद लिफाफे में दिनांक 27-11-2024 से दिनांक 17-12-2024 तक कार्यालयीन समय सायं 05. 00 बजे तक जमा करना होगा, समयावधि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगा।

कलेक्टर
जिला–भिण्ड

जिला दिव्यांगपुर्नवास केन्द्र जिला भिण्ड हेतु स्वीकृत पद हेतु विज्ञाप्ति हेतु पदों की जानकारी

कं0	पदनाम	पद संख्या	अर्हता
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक /पुर्नवास मनोचिकित्सक	01	क्लीनिकल मनोचिकित्सक ------------------- क. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम.फिल ख. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा पुर्नवास मनोचिकित्सा क. पुर्नवास मनोचिकित्सा में एम.फिल ख.पुर्नवास मनोचिकित्सा मे पोस्ट ग्रेजुएट/डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)
2	वरिष्ठफिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	01	फिजियोथेरेपिस्ट .01 अनिवार्य योग्यता बी.पी.टी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अनिवार्य योग्यता बी.ओ.टी
3	ऑडियोलाजिस्ट और सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट	01	ऑडियोलोजी और स्पीच एण्ड लैंग्वेज पैथोलोजी (बीएएसएलपी)में स्नातक -- बी.एस.सी स्पीच एंड हियरिंग
4	ट्रांस डिसिप्लिनरी	01	श्रवण बधित में डीईडीएसई/बीईडीएसई
5	प्रारम्भिक उपचार थेरेपिस्ट	01	पीजीडीडीटी/पीजीउीईआई/बीएमआर/बीआरएससी/बीआरटी/एम आरएससी/एमएससीई–आई
6	केयर गिवर	01	सीसीसीजी/आरसीआई–सीसीसीजी/राष्ट्रीय न्यास या कक्षा VIII उत्तीर्ण जिसमें दिव्यांगजनो की देखभाल में 3साल का अनुभव
7	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट /आर्थोटिस्ट	01	आर.सी आई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बी.पी.ओ)मे स्नातक
8	व्यवसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर	01	व्यवसायिक पुर्नवास में डिप्लोमा (डीबीआर)बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/पुर्नवास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)
9	श्रवण सहायक /जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट	01	श्रवण यंत्रों की जानकारी /मरम्मत/कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक एंव श्रवण में डिप्लोमा -- स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन हियरिंग लैग्वेज और

10	भृत्य	01	कक्षा 8वी
11	चौकीदार	01	कक्षा 8वी

नोटः– जिन अभ्यार्थियो द्वारा दिनांक 9.7.24 को जारी विज्ञाप्ति में 07 पदो हेतु जिन अभ्यार्थियो द्वारा आवेदन किये गये वो अभ्यार्थी पुनः आवेदन न करे उन सभी अभ्यार्थियो के आवेदन प्रकिया में सम्मलित किये गये है।

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण
विभाग, जिला–भिण्ड

नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते :–

1– विज्ञाप्ति के बिन्दु क्रमांक 01,3,4.,5,6,7,8तक के समस्त पदो के लिये भारतीय पुर्नवास पदो परिशद
परिसर आर.सी.आई का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2– यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्श के लिये है,किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के कारण
बताओ सूचना पत्र एंव एक माह के मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा
सकती है। 01वर्श के पश्चात सेवाए संतोशप्रद पाये जाने पर समिति द्वारा पुनः सेवा वृद्वि की जा
सकती है।

3– उपरोक्त सभी पद एंकाकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगें।
4– आवेदक की आयु दिनांक 01 जुलाई 2024 को 18 वर्श एंव अधिकतम 40 होगी एंव शासन के
नियमानुसार आराक्षित वर्ग के आवेदको को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
5– आवेदक की आयु 01जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम नही होना चाहिये ।
6– संविदा पर नियुक्ति विशय विशेश /कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
7– आवेदको संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्णतः अपनी पूर्ण जानकारी एंव समस्त दस्तावेजो का
सलंग्न करना अनिवार्य होगा जो पठनीय हो अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिये
आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा । कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एंव शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति में
आवेदन स्वंय निरस्त माना जावेगा। विशेश योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र
अनिवार्य होगा।

8– चयनित आवेदक को मुख्यालय पर ही रहना होगा। चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित
अनुबंध संविदा नियमो को पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों का पालन करना
अनिवार्य होगा।

9– संविदा पर नियुक्त विषय विशेष /कर्मचारी पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965
प्रभावशील होगा।

10– संविदा पर नियुक्त विशय विशेश/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में
सलंग्न पाये जाने नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगा।
11–नियुक्ति विषय विशेष /कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियम या
अनुदेशो के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेगी।
12– संविदा नियुक्ति के पात्र पाये जाने पर चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि
चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल विवरण प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में
नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13– आवेदक की संविदा नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित जिला
चिकित्सालय के जिला मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ परीक्षण करवाकर स्वास्थ प्रमाण
पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्यहोगां।
14–नियुक्ति प्रक्रिया :– मेरिट के आधार पर की जावेगी।
15– प्राप्त आवेदनो की जॉच के पश्चात पात्र आवेदको की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित
की जावेगी। जो आवेदक /आवेदिका पात्र नही होगा उन्हे पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
16– नियुक्ति के पश्चात पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यार्थी
को चयनित किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची में एक पद के विरूद्व दो आवेदको की प्रतीक्षा सूची बनाई
जावेगी।

19– उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समास्या /विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिला प्रबन्धनदल के अध्यक्ष/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एंव सर्वमान्य होगा।

20 सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत है । उक्त पद पर चयनित आवेदक का भविष्य में नियमितिकरण किये जाने का काई दावा /वाद विवाद मान्य नही होगा।

विशेष नोटः– आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किये जावेगें।

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला–भिण्ड